न्यायालयः— अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**सुन्दर लाल खारोल**, आर.जे.एस., (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी विविध संख्या	:	158 / 2021 (65 / 2014)
सीएनआर नम्बर	:	RJDK050016332021
अनवान	:	कालूराम बनाम दुलीचन्द व अन्य

:—उपस्थिति :—

01.	प्रार्थीगण / वादीगण की ओर से	—	श्री अनिल जोशी, अधिवक्ता।
02.	अप्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से	—	श्री मोहम्मद हनीफ, अधिवक्ता।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

:: आदेश ::

दिनांक : 08.01.2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व 09 सिविल प्रकिया संहिता (संक्षिप्तता के लिए सी.पी.सी), 1908 दिनांक 18.12.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 18.12.2025 का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.12.2025 को जवाब पेश किया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / वादीगण ने अपने आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने आवेदन आदेश 22 नियम 9 सीपीसी का पेश किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द की मृत्यु माह सितम्बर 2015 को होना जाहिर किया है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 01.08.2017 को हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने की जानकारी वादी को उसके बयानो के वक्त हुई थी। अधिवक्ता प्रतिवादी ने इस आवेदन से पूर्व कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने की सूचना न्यायालय में नही दी।

3. इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे आगे अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा इकबाले जवाब है, जिससे वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित है। उक्त कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने से वाद के निस्तारण मे किसी प्रकार की देरी नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में

वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

4. इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 01.08.2017 को हुई थी, जिसकी सूचना वादी को उसके कथनो के समय हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने पक्षकार की मृत्यु की सूचना न्यायालय में नही दी। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने भी न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना नही दी। वादी गरीब व अनपढ होने से उसके द्वारा कोई आवेदन मयाद मे पेश नही किया गया है। वादी की उक्त देरी सद्भाविक थी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवेदन पेश होने में हुई देरी को कन्डोन करने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश किया एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी में अंकित किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद विहित 90 दिवस में कायम मुकान अभिलेख पर लाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश नही करने से वादी का वाद स्वतः एबेट हो चुका है। वादी द्वारा स्वयं अपने कथनो में प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के तथ्य प्रस्तुत किया है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को मृत्यु की सूचना देने की कोई आवश्यकता नही है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को अभिलेख पर विहित समयावधि में नही लाने की घोर लापरवाही की है एवं कोई *''पर्याप्त कारण''* प्रस्तुत नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु उसकी जानकारी में बावजूद 10 साल तक कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही कर घोर लापरवाही की है। वादी द्वारा उक्त देरी के संबंध में कोई *''पर्याप्त कारण(sufficient cause)'* दर्शित नही किया गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही मोहल्ले के निवासी है, ऐसे में वादी को उसकी मृत्यु की जानकारी होने का तथ्य मिथ्या आधारो पर प्रस्तुत है। मियाद क्षमा किये जाने के लिए पर्याप्त हेतुक को दर्शित करना अनिवार्य होता है। किसी भी प्रकरण में मात्र तकनीकी आधारो पर मियाद अवधि के संबंध में देरी को क्षम्य नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किए जाने का

निवेदन किया।

7. बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यो की पुनरावृति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 01.08.2017 को हुई थी। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने न्यायालय को उसके पक्षकार की मृत्यु की सूचना नही दी, जिसे देने हेतु वह विधिक रूप से बाध्य है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने भी प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द की मृत्यु की सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की।

8. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आगे तर्क दिए है कि वादी को दुलीचन्द की मृत्यु की जानकारी उसके बयानो के समय हुई। वादी गरीब व अनपढ व्यक्ति होने से उसकी विलम्ब क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी हुई है। वादी का देरी होने का कारण सद्भाविक एवं *''पर्याप्त कारण(sufficient cause)'* है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही मोहल्ले के निवासी है, ऐसे में उसको मृत्यु की जानकारी विगत 10 वर्षो में नही होने का तथ्य मिथ्या है। इसके अतिरिक्त वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण प्रस्तुत नही किया है, जो न्यायिक विवेक के अनुसार पर्याप्त कारण हो। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना देने का कोई आवश्यकता नही थी। वादी द्वारा 10 वर्षो तक बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को अभिलेख पर नही लाया जाने से वाद स्वतः उपशमित हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. दोनों पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपांत अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

11. प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर विवेचना करने से पूर्व सुसंगत विधि व प्रतिपादित सिद्धांतो का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। **आदेश 22 नियम 4 व 9 सी.पी.सी** यह उपबंधित करती है कि :—

"**Order XXII Rule 4. Procedure in case of death of one of several defentlants or of sole defendant.**—

(1) Where one of two or more defendants dies and the right to sue does not survive against the surviving defendant or defendants alone or a sole defendant or sole surviving defendant dies and the right to sue survives, the Court, on an application made in that behalf, shall cause the legal representative of the deceased defendants to be made a party and shall proceed with the suit.."

Order XXII Rule 9. Effect of abatement or dismissal.—

(1) Where a suit abates or is dismissed under this Order, no fresh suit shall be brought on the same cause of action.

(2) The plaintiff or the person claiming to be the legal representative of a deceased plaintiff or the assignee or the receiver in the case of an insolvent plaintiff may apply for an order to set aside the abatement or dismissal; and if it is proved that he was prevented by any sufficient cause from continuing the suit, the Court shall set aside the abatement or dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit.

(3) The provisions of Section 5 of the 1[Indian Limitation Act, 1877 (15 of 1877)] shall apply to applications under sub-rule (2).

12. इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में धारा 5 Limitation Act, 1963 निम्न उपबंधित करती है

Section 5. Extension of prescribed period in certain cases.—Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the court that he had **sufficient cause** for not preferring the appeal or making the application within such period.

Explanation.—The fact that the appellant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section.

13. हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी को पूर्व आदेश द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है, ऐसे में उसी बिन्दू पर पुनः विवेचन किये जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। ऐसे में न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी के संबंध में कोई *'पर्याप्त कारण(sufficient cause)'* प्रस्तुत किया है?

14. इस संबंध में विधिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Esha Bhattacharjee Vs Managing Committee of Raghunathpur Nafar Academy & Others** Civil Appeal Nos.8183-8184 of 2013 [2013 Supreme(SC) 868] Date 13.09.2013 में ***पर्याप्त कारण(sufficient cause)*** के

सन्दर्भ में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः—

15. From the aforesaid authorities the principles that can broadly be culled out are:

i) **There should be a liberal, pragmatic, justice-oriented, non-pedantic approach while dealing with an application for condonation of delay, for the courts are not supposed to legalise injustice but are obliged to remove injustice**.

ii) The terms "sufficient cause" should be understood in their proper spirit, philosophy and purpose regard being had to the fact that these terms are basically elastic and are to be applied in proper perspective to the obtaining fact- situation.

iii) Substantial justice being paramount and pivotal the technical considerations should not be given undue and uncalled for emphasis.

iv) No presumption can be attached to deliberate causation of delay but, gross negligence on the part of the counsel or litigant is to be taken note of.

v) Lack of bona fides imputable to a party seeking condonation of delay is a significant and relevant fact.

vi) It is to be kept in mind that adherence to strict proof should not affect public justice and cause public mischief because the courts are required to be vigilant so that in the ultimate eventuate there is no real failure of justice.

vii) The concept of liberal approach has to encapsule the conception of reasonableness and it cannot be allowed a totally unfettered free play.

viii) There is a distinction between inordinate delay and a delay of short duration or few days, for to the former doctrine of prejudice is attracted whereas to the latter it may not be attracted. That apart, the first one warrants strict approach whereas the second calls for a liberal delineation.

ix) The conduct, behaviour and attitude of a party relating to its inaction or negligence are relevant factors to be taken into consideration. It is so as the fundamental principle is that the courts are required to weigh the scale of balance of justice in respect of both parties and the said principle cannot be given a total go by in the name of liberal approach.

x) If the explanation offered is concocted or the grounds urged in the application are fanciful, the courts should be vigilant not to expose the other side unnecessarily to face such a litigation.

xi) It is to be borne in mind that no one gets away with fraud, misrepresentation or interpolation by taking recourse to the technicalities of law of limitation.

xii) The entire gamut of facts are to be carefully scrutinized and the approach should be based on the paradigm of judicial discretion which is founded on objective reasoning and not on individual perception.

xiii) The State or a public body or an entity representing a collective cause should be given some acceptable latitude.

16. To the aforesaid principles we may add some more guidelines taking note of the present day scenario. They are: -

a) An application for condonation of delay should be drafted with careful concern and not in a half hazard manner harbouring the notion that the courts are required to condone delay on the bedrock of the principle that adjudication of a lis on merits is seminal to justice dispensation system.

b) An application for condonation of delay should not be dealt with in a routine manner on the base of individual philosophy which is basically subjective.

c) Though no precise formula can be laid down regard being had to the concept of judicial discretion, yet a conscious effort for achieving consistency and collegiality of the adjudicatory system should be made as that is the ultimate institutional motto.

d) The increasing tendency to perceive delay as a non- serious matter and, hence, lackadaisical propensity can be exhibited in a non-challant manner requires to be curbed, of course, within legal parameters.

15. इस प्रकार यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत व्यक्त पर्याप्त कारण की व्याख्या लचीले रूप में एवं प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियों एवं प्रकरण में देरी की मंशा को समझते हुए की जानी चाहिए।

16. हस्तगत वाद में पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष उसके पक्षकार की मृत्यु होने के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्रकट नही की एवं न ही उसके द्वारा इस संदर्भ में पक्षकार के विधिक वारिसान को हस्तगत वाद के बारे में किसी प्रकार का नोटिस दिया जाना दृष्टिगत नही होता है।

17. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 10ए के अनुसार वाद में पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाले प्लीडर को जब कभी यह जानकारी प्राप्त हो कि उस पक्षकार की मृत्यु हो गई है तो वह न्यायालय को इसकी इत्तिला देगा और तब न्यायालय ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा और इस प्रयोजन के लिए प्लीडर और मृत पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में मानी जाएगी।

18. आदेश 22 नियम 10ए सीपीसी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Binod Pathak & Ors. vs. Shankar Choudhary & Ors**. Civil Appeal No. 7706 OF 2025 [2025 INSC 842] Date 14.07.2025 में निम्न मत अभिव्यक्त किया

है:—

> "29. With enforcement of 1976's amendment to the CPC, once a party to the suit dies, a duty is cast upon the lawyer representing such party, to communicate the fact of death to the opposite party in terms of provisions contain in Rule 10A of Order XXII of the CPC. It is nobody's case that there was compliance of this rule in the case at hand by the advocate appearing for the defendants. Unless this primary obligation is discharged and it is established with cogent evidence that the opposite party had sufficient opportunity to know and, had, in fact, knowledge of the death of the defendant, the plea of abatement of the suit at the instance of party having failed to comply with the obligation mentioned under Rule 10A of Order XXII of the CPC cannot be entertained. Nobody can be allowed to reap the benefit of his own lapse and to non-suit the plaintiff.
>
> ***
>
> 51. Thus, the principle that no party can take advantage of his/her own wrong i.e. 'nullus commodum capere potest de injuria sua propria' is squarely attracted in the event of a failure in complying with the provision of Rule 10A of Order XXII of the CPC, and any abatement as a result of such wrongdoing or failure ought not to be validated by the courts."

19. हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने पक्षकार की मृत्यु होने की जानकारी न्यायालय को नही दी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिवादी पक्ष द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के संबंध में जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई है। इसके अतिरिक्त धारा 5 परिसीमा अधिनियम के जवाब में अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के मृत्यु की जानकारी थी।

20. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में केवल यह लिखना कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही मोहल्ले में निवास करते थे, इससे यह अनुमान नही लगाया जा सकता कि वादी को मृत्यु की जानकारी थी, यह स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य सिविल वाद लम्बित है, ऐसे में उनके मध्य सम्बन्धो की कटुता होने की संभावना को नजरअन्दाज नही किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने कटु सम्बन्धो के संबंध में अद्यतन रहे, यह उपधारणा करना न्यायोचित नही है।

21. प्रकरण में वादी के सशपथ कथनो में प्रतिपरीक्षण के दौरान दिनांक 13.11.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द की मृत्यु होने का तथ्य प्रकट हुआ है। वादी द्वारा दिनांक 18.12.2025 को उक्त प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को अभिलेख पर लेने

बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

22. हस्तगत प्रकरण में वादी की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर, वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी की स्टेज पर लम्बित है। न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय को विवाद्यको के पूर्ण विनिश्चय पर अधिक जोर देना चाहिए, न कि तकनीकी आधारो पर वाद को निरस्त करने पर। चूंकि हस्तगत प्रकरण में विवाद्यको की रचना होकर वादी की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है, केवल प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध की जानी है। ऐसे में विवाद्यको के अन्तिम निस्तारण की मंशा रखते हुए वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने में की गई देरी को क्षमा करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। **उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा देरी के संबंध में प्रस्तुत कारण का पर्याप्त होना परिलक्षित होता है।**

23. जहॉ तक वाद के स्वतः उपशमन को निरस्त होने का बिन्दू है, इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते वाद उपशमन न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा वाद के उपशमन नही किए जाने के संबंध में विस्तृत विवेचन किया गया है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय पूर्व में निस्तारित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2025 में वर्णित निष्कर्ष को पुनः इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय उल्लेख किया जाना समीचीन नही है। अतः वाद के उपशमन को पूर्व विवेचनानुसार निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

24. <u>इसके पश्चात् न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 में वर्णित वारिसान को अभिलेख पर लिया जाना चाहिए?</u>

25. हस्तगत वाद में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के निम्न कायम मुकामान अंकित किए हैः—

    i. श्रीमति झमकू देवी पत्नी स्व. दुलीचन्द
    ii. राजेश पुत्र स्व. दुलीचन्द
    iii. दिनेश पुत्र स्व. दुलीचन्द

26. हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। परन्तु प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना शेष है। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के पश्चात उक्त वारिसान को वाद में प्रतिरक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा भी जवाब प्रार्थना पत्र में उक्त वारिसान प्रतिवादी

संख्या 1 के नही होने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति अथवा तर्क प्रस्तुत नही किए है। ऐसे में विवाद्यको के पूर्ण विनिश्चयन हेतु उक्त वारिसान को अभिलेख पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

27. उक्त कारणों व विवेचन से प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: <u>आदेश</u> ::—

28. अतः प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के निम्न कायम मुकामान को अभिलेख पर लिया जाता हैः

i. श्रीमति झमकू देवी पत्नी स्व. दुलीचन्द
ii. राजेश पुत्र स्व. दुलीचन्द
iii. दिनेश पुत्र स्व. दुलीचन्द

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन (राज.)

29. आदेश आज दिनांक 08.01.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन (राज.)